MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no ...*(Interruptions)*... Please ...*(Interruptions)*... We will now take up the Discussion on the Working of the Ministries of Panchayati Raj and Rural Development.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRIES OF PANCHAYATI RAJ AND RURAL DEVELOPMENT -*Contd.*

पंचायती राज मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : परम आदरणीय उपसभापति महोदय, मुझे यह श्रेय मिला है कि आपने दोबारा आसीन होने पर मुझे ही सबसे पहले बुलाया है। मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ कि हमारे नए मंत्रालय के स्थापित होने के दो साल पश्चात् आज इस पंचायती राज विषय पर विस्तार से चर्चा करने का और उसका जवाब देने का हमें मौका दिया गया है। यह कह कर मैं श्री मंगनी लाल मंडल जी को अपना खास आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने इस चर्चा को शुरू किया, इसका नतीजा यह रहा कि उनके पश्चात् जो 20 माननीय सदस्यों ने यहाँ भाषण दिए, वे इतने रचनात्मक रहे और विषय से इतने जुड़े हुए रहे कि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें ऐसा मौका भी मिला कि इस मुश्किल विषय पर, जिस पर पूरे सदन को, हमारे संसद को ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मौका हमें पेश किया गया।

बहुत से माननीय सदस्यों ने मेरे बारे में और इस विषय से जो मेरी लगन है, उसकी प्रशंसा की। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस विषय पर वे भी इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। मान्यवर, हमने यह भी देखा कि जब इस सदन में इस विषय पर चर्चा हुई, तो देश के कोने-कोने से जो माननीय सदस्यगण यहाँ हैं, उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। उत्तर भारत से हमने बिहार की आवाज सुनी, उत्तर प्रदेश की आवाज सुनी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की आवाज सुनी। दक्षिण भारत से भी हमने पांडिचेरी की आवाज सुनी, तमिलनाडु की आवाज सुनी, कर्नाटक की आवाज सुनी और आन्ध्र प्रदेश के अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लिया। पश्चिम भारतवर्ष से राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया और पूर्व और पूर्वोत्तर भारत से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम एवं त्रिपुरा के माननीय सदस्यगण ने इसमें भाग लिया। यह पहली मर्तबा था कि देश भर का इस अहम विषय के बारे में जो ख्यालात है, वह हमारे सामने पेश हुए। पंचायती राज मंत्री होने के नाते मुझे अत्यन्त खुशी है कि सभी ने, बिना एक छोड़े, सभी ने पंचायती राज का समर्थन किया। और यदि कोई टिप्पणी रही तो वह यही थी कि हम अब तक मुकम्मल तौर पर पंचायती राज को साकार करने में कामयाब नहीं रहे। मैं इसे बहुत अहम समझता हूं।

माननीय सदस्य श्री मंगनी लाल मंडल जी ने इस चर्चा को शुरू करते हुए ही हमें याद दिलाया कि पंचायती राज तो महात्मा गांधी जी की सोच से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमारा ध्यान उस इंटरव्यु पर आकर्षित किया जो कि गांधी जी ने दशकों पहले श्री लुई फिशर को दिया था जिस में उन्होंने बताया कि आजाद हिंदुस्तान को हमें अपने गांवों के आधार पर बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने गांवों की तरफ नहीं देखते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि असलियत में हम ने आजादी हासिल की है। गांधी जी का तो यहां तक कहना था कि पूर्ण

स्वराज हम तभी हासिल कर पाएंगे जब कि ग्राम-स्वराज हो। उन्होंने श्रीमान नारायण जी को इजाजत दी थी कि हमारे संविधान के प्रति जो उन के ख्यालात थे, उस पर एक किताब लिखें। मैं मंगनी लाल जी का ध्यान, क्योंकि वह इस विषय में बहुत दिलचस्पी लेते हैं, उस पुस्तक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस से बिल्कुल साफ तफ़सील में पता लगता है कि गांधी जी किस प्रकार का भारत चाह रहे थे और किस प्रकार के संविधान की वह अपेक्षा रख रहे थे।

शुक्र की बात है कि श्री नंदी येल्लैया ने बताया कि इस विषय में पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने बहुत अहम रोल अदा किया और श्री राजीव गांधी जी के बारे में हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने बताया जिन में डा0 प्रभा ठाकुर, डा0 फागुनी राम और श्री मूल चन्द मीणा शामिल हैं। आप सभी ने राजीव गांधी जी और उन के योगदान के बारे में हमें तफ़सील में बताया। मैं भी उन के साथ राजीव जी के स्मरण में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जुड़ना चाहता हूं क्योंकि यदि वह न होते तो संविधान में लाया गया 73वां संशोधन नहीं होता और पंचायती राज वैसे ही बिल्कुल तन्हाई में रहता जिस तन्हाई में वह दशकों से रहा। अब यदि हमारे संविधान में पंचायती राज को बिल्कुल एक मरकज़ी स्थान मिला है तो इस का मूल कारण यह है कि हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने सोचा कि इस विषय को हमारे आधुनिक राष्ट्र के निर्माण में बिल्कुल केन्द्र बिंदु बनाया जाए। इस के साथ-साथ मैं श्री सूर्यकान्त भाई आचार्य के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने हमें याद दिलाया कि पंचायती राज न तो राजीव जी के साथ शुरू हुआ, न जवाहर लाल जी के साथ शुरू हुआ और न गांधी जी के साथ शुरू हुआ बल्कि यह संस्थान तो हमारे प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। हम तो अपनी एक बहुत पुरानी विरासत को आधुनिक रूप देकर आगे ले जा रहे हैं। जरूरत यह है कि हम अपने संविधान के भाग 9 और भाग 9 "क" की कद्र करें और उस को अमल में लाएं।

I want to, particularly, thank Shri V. Narayanasamyji for having pointed out, and I quote him, "that Rural Development and Panchayati Raj is the lifeline of our country." I think that just sums it up. If we do not project our lifeline, there cannot be any life. I think Shri Narayanasamyji is completely correct in suggesting that it is to the extent to which we promote Panchayati Raj that we can promote development in modern times of our country by the utilisation of this ancient institution. It was Shri Matilal Sarkar who pointed out -- and I would like to quote him - that both money power and political power are vested in the exploiting class. Now, if we can divert that political power to the have-nots, he said that the purpose of Panchayati Raj will be served. I could not agree more with him. It is in empowering the have-nots that Panchayati Raj comes entirely into its own. I am particularly grateful to Dr. P.C. Alexander for having participated in that debate and for being present over there. Of all those who summed up the significance of Panchayati Raj in the course of this debate, I think, it was Dr. Alexander, with his vast experience of not only the Indian bureaucracy and the Indian polity, but also the years that he spent as he was a very young civil servant in Shri S.K. Dey's Ministry of Community Development that got

summed up in the wisdom of two remarks - one at the start of his intervention and one at the conclusion - when at the start, he said that of all the Ministries, he believed that it was the Ministry dealing with the Rural Development - in which, I trust, he includes my Ministry - which should be right at the top. And I agree with him that unless and until we recognise that the vast majority of our people live in rural India and that it is only a minority of our national income that is generated for this majority of people and, therefore, it is through the empowerment of our rural people which results in their securing their entitlements and by a combination of empowerment and entitlement to ensure their enrichment, there is no other way in which we can promote rural prosperity and poverty eradication. I, therefore, regard it as being of the utmost significance that the very first Conference of Chief Ministers which Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, convened within one month of the formation of the UPA Government had as its theme -- and I am now not paraphrasing, I am quoting -- the subject 'Rural Prosperity and Poverty Eradication through Panchayati Raj'. So, I am glad to be able to inform Dr. Alexander that we completely accept the priorities that he has set for this country and I do endorse his view. In fact, I am deeply inspired by it that he has used the expression which I long wanted to use about this remarkable transformation through Panchayati Raj which is taking place in rural India, that it is -- and now, I quote Dr. Alexander -- 'a revolutionary movement'. There is a revolution going on through Panchayati Raj in our countryside and it is only to the extent to which this honouarable Parliament involves itself in this revolutionary movement that we will truly attain the objective which Gandhiji placed before us which is Poorna Swaraj through Gram Swaraj.

Sir, in this connection, I think, we need to take stock, at this stage, of where exactly we stand with respect to Panchayati Raj और क्योंकि सब के सामने इस सिलसिले में आंकड़े नहीं आए हैं, मैं आपकी अनुमति से इसको इससे शुरू करना चाहता हूँ कि हमारे देश में कितने पंचायती संस्थान हैं। यदि हम इन आँकड़ों को ध्यान से देखें, तो मेरे ख्याल में हम सब न केवल बहुत ही आकर्षित होंगे, बल्कि प्रभावित भी होंगे कि हम पिछले 12 सालों से कहाँ तक इस क्रांतिकारी अभियान को ले गए हैं। इससे सब को स्पष्ट रूप से पता लगेगा कि पंचायती राज विफल नहीं रहा है कि हाँ, बहुत कुछ करने का है। लेकिन इन पिछले साढ़े बारह या तेरह सालों की जो कामयाबी है, हमें उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि आगे बढ़ने में हमारे दिल में किसी प्रकार की झिझक न हो, क्योंकि यदि हमारे दिल में इसके प्रति कोई झिझक आ जाए, तब आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। महोदय, यह गजब की बात है कि जहाँ राजीव गांधी जी ने 1989 में कहा कि हाँ India may be the world's largest democracy, but it is also the world's least representative democracy.

आज हम उस स्थान पर पहुंचे हैं कि इस देश के कोने-कोने में कुल मिलाकर ग्राम-पंचायतों की संख्या 2,34,676 हो गई है। There are close to 2,35,000 elected gram panchayats, spread right over the country. सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि लाजिमी है। उत्तर प्रदेश में चुनी हुई 52,028 ग्राम-पंचायतें हैं। राज्यों में सबसे कम संख्या का राज्य सिक्किम है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि यह एक काफी छोटा राज्य है और वहां भी 159 ग्राम-पंचायतें हैं। यूनियन टेरीटरीज में लक्ष्य-द्वीप में 10 ग्राम-पंचायतें हैं, दमन-दीव में भी 10 ग्राम-पंचायतें हैं, यानी सबसे कम ग्राम-पंचायतें इन यूनियन टेरीटरीज में हैं।

उपसभापति जी, जहां तक मध्य स्तर की पंचायतें हैं, इनके नाम अलग-अलग हैं। इन्हें कहीं पंचायत समिति कहा जाता है, कहीं क्षेत्र समिति कहा जाता है, तमिलनाडु में तो इसको यूनियन कहते हैं। इस तरह इनके अलग अलग नाम हैं, लेकिन ये जो मध्य-स्तर की पंचायतें हैं, इनकी संख्या 6,097 है। सबसे ज्यादा मध्य-स्तर की पंचायतें जो हैं, वे आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, यहां इनकी संख्या 1,095 है। सबसे कम मध्य-स्तर की पंचायतें पंजाब में हैं, यहां इनकी संख्या 140 है और यूनियन टेरीटरी में सबसे कम संख्या चंडीगढ़ में है, यहां की एक ही मध्य-स्तर की पंचायत है। अब मैं जिला-स्तर की पंचायतों पर आता हूँ। देश भर में 537 डिस्ट्रिक्ट पंचायतें हैं। इनमें सबसे ज्यादा, लाजिमी है, उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में आप 71 जिला-पंचायतें पाएंगे। राज्यों में सबसे कम जिला-पंचायतें गोवा में हैं, वहां केवल दो डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं, एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए और दूसरी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के लिए। हमारी जो सारी यूनियन टेरीटरीज हैं, उनमें एक-एक डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैं। दिल्ली में जहां एक जमाने में पंचायती-राज हुआ करता था, लेकिन उसको पुनर्जीवित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, क्योंकि इसको बिल्कुल एक पूरा शहरी राज्य समझा जाता है, मैं समझता हूँ कि इस पर दिल्ली सरकार को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक और यूनियन टेरीटरी है और जिसकी अपनी स्टेट असेम्बली है, वह है पांडिचेरी। यहां पांडिचेरी राज्य के माननीय सदस्य श्री वी. नारायणसामी ने हम सब को बताया कि वह उम्मीद रख रह थे कि वहां, जहां कि पंचायती राज के लिए कोई चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, मई महीने में वहां चुनाव होंगे, जो हुए नहीं। अब चूंकि नई सरकार वहां आई है और वह भी थीरू नारायणसामी, उनके दल के, पार्टी के नेतृत्व में, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो काम 13 साल से पंचायती राज का अधूरा रहा है, वह काम आने वाले चंद रोज में पूरा हो जाएगा।

उपसभापति जी, अब मैं आना चाहता हूँ चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या पर। गजब की बात है कि इस देश में, जहां कि करीब 500 लोग जनता की तरफ से चुनकर लोक सभा में आते थे और करीब 4500 लोग चुनकर हमारी विधान सभाओं में आते थे, यानी कुल मिलाकर पांच हजार चुने हुए लोग सौ करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते थे। इसीलिए राजीव जी ने कहा था -"We may be the world's largest democracy, but, we are also the world's least representative democracy." कितना कम हमारा प्रतिनिधित्व है इस सदन में, इस संसद में? इसकी तुलना करने के लिए आप इंग्लैंड की तरफ देखें, तो आप पाएंगे कि वहां हाऊस ऑफ कॉमन में 600 से ज्यादा सदस्य हैं, जबकि उनकी आबादी हमारी आबादी की तुलना में 1/20 है, 5 प्रतिशत है। और हमारे यहां, हमारी लोक सभा में हाऊस आफ कॉमन से 100 सदस्य कम हैं। इस परिस्थिति में वाकई प्रतिनिधित्व को बढ़ाना, जो कि जनतंत्र का सबसे पहला फर्ज था, उस फर्ज को पूरा किया गया। आज मैं केवल ग्रामीण

1.00 P.M.

इलाकों की बात कर रहा हूं, पंचायतों की बात कर रहा हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ हमारे शहरी इलाकों में भी यह चमत्कार हुआ है, लेकिन हमारे ग्रामीण इलाकों में चुने हुए प्रतिनिधितियों की संख्या अब 20,73,715 है। It is an amazing achievement that in a country which, till 1995, had less than 5,000 directly elected representatives of the people, the number of directly elected representatives in governance has today risen from something of the order of 5,000 to 20,73,715. So, making generalisations about 20 lakh people is to be discouraged. The highest number of elected representatives is unsurprisingly in the State of Uttar Pradesh where we have 3,77,518 elected representatives. The lowest number of elected representatives is unsurprisingly in a State like Sikkim, with 873. In the UTs, the highest number of Gram Panchayat members is in Chandigarh which has 162; the lowest is in Daman & Diu which has 46. At the level of intermediate Panchayats, we have 1,10,070 elected representatives. Uttar Pradesh has 33,290; Tripura has 193 and Chandigarh has only 15. At the Zila Parishad level, we have 11,825 elected representatives with, again, Uttar Pradesh in the lead. They have 1,338 Zila Parishad representatives. Goa has the least, with 33, and Chandigarh is the lowest in the UTs, with 10. Now, against the background of over 20 lakh elected representatives, I now wish to draw the House's attention to what we have been able to do with respect to ending or trying to end gender injustice in rural areas.

महिलाओं को न्याय देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कार्य इस संशोधन के जरिए किया गया है, वह बेमिसाल है। वह बेमिसाल क्यों है, यह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। हमारी पंचायतों में, हमारी ग्राम पंचायतों, हमारी सारी पंचायतों में चुने हुए महिला प्रतिनिधिगण हैं 8,90,605. आप मुझे बताइए कि क्या कोई और देश दुनिया में है जहां कि 8 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को पंचायतों में चुना गया हो? तो 8 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को हमने न केवल पंचायतों के हर स्तर तक चुनकर निकाला है, बल्कि उसके साथ-साथ यह भी तय किया है कि पदों में, ऑफिस बेयरर्स के लिए, उनके लिए जगह रहेगी और वे वहां प्रशासन चलाएंगी, उनकी एक जिम्मेवारी रहेगी इस देश की गवर्नेंस में। किसी और देश में ऐसा नहीं है। 8,90,605 महिला प्रतिनिधिगण हैं, जिनमें से 8,38,227 गांवों में हैं, 47,455 मध्य स्तर की पंचायतों में हैं और जिलों में 4,923 हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों में महिलाओं की संख्या 18,580 है, त्रिपुरा में 106 है और चंडीगढ़ में 6 है। ज़िला पंचायतों के स्तर पर 788 महिलाएं हैं। सबसे कम - 97 महिलाएं गोआ में एवं केवल तीन महिलाएं चंडीगढ़ में हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि We have fulfilled Rajiv Gandhi's instruction of changing from being merely the world's largest democracy to the world's most representative democracy. Empowerment of this scale is without parallel in the world and without precedent in the world and, yet, there are

those who say जैसा कि श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने हमें यहां बताया कि महिलाएं घुनकर आ तो जाती हैं लेकिन वास्तव में उनके पति, भाई या पिता उनका काम देखते हैं और ये महिलाएं कठपुतली की तरह बैठी रहती हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुझे देश भर में घूमने का मौका मिला है, 12 राज्यों के अन्दर बहुत से छोटे-छोटे गांवों में जाकर, ग्राम सभा में बैठ कर, मैंने महिलाओं से बात की है। कुछ महिलाएं तो ऐसी भी रहीं जो बुर्का पहन कर मेरे सामने आईं, मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी, इसलिए मैं उन्हें पहचान नहीं पाऊंगा। कई महिलाएं मेरे सामने घूंघट को ओढ़ कर आईं और मेरी तरफ नहीं देखा। यह उनकी संस्कृति है। लेकिन जब हमने उनसे उस विषय पर बात करनी थी, तब उन्होंने पूरे तफ़सील से बताया कि गांव में क्या-क्या कमियां हैं और पंचायती राज को और अधिक बेहतर बनाने के लिए हमें कैसे कदम उठाने चाहिए। मैं श्री बी.एस. ज्ञानादिशिखन से सहमत हूं, यहां पर जब उन्होंने बताया कि "Women in the Panchayati Raj institutions are one of the greatest achievements which we have achieved in free India". ऐसा ही श्रीमती वंगा गीता जी ने भी कहा, अफसोस की बात है कि वह अब हमारे सदन में नहीं हैं। डा. प्रभा ठाकुर जी ने भी इस विषय पर ध्यान आकर्षित किया था।

सबसे ज्यादा आभारी मैं श्रीमती प्रेमा करियप्पा जी का हूं क्योंकि उन्होंने एक चीज़ बताई, जिस पर तब तालियां नहीं बजीं और अब मैं इस उम्मीद से उसे दोबारा कहना चाहता हूं कि बेशक मेरे लिए आप तालियां न बजाएं, लेकिन उनके लिए अवश्य बजाएं। श्रीमती प्रेमा करियप्पा जी ने इस सदन को बताया कि जहां पर हमारे संविधान में महिलाओं के लिए मात्र 33 प्रतिशत का प्रावधान है, In Karnataka about 45 per cent of the elected offices are occupied by women. In Uttar Pradesh 54 per cent of Zilla Panchayat Presidents are women. Similarly, in Tamil Nadu, 36 per cent of the Chairpersons of Gram Panchayats are women.

SHRIMATI BRINDA KARAT: In West Bengal, it is 41 per cent.

श्री मणि शंकर अय्यर : शुक्र है कि श्रीमती वृंदा जी हमारे बीच में हैं, क्योंकि उनकी तरफ से पहले यह नहीं बताया गया था, इसलिए मैं वृंदा जी की बात को भी इसमें जोड़ना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में 41 प्रतिशत महिलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह तो दक्षिण भारत में ही हो सकता है, क्योंकि आप लोग अजीबो ग़रीब लोग हैं, लेकिन उत्तर भारत में यह नहीं हो सकता है। मैं अपनी आवाज़ की पूरी शक्ति के साथ उन्हें यह बताना चाहता हूं कि पूर्व में पश्चिम बंगाल हो, दक्षिण में तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में महिलाएं उभर कर आगे आ रही हैं। जो विश्वास हमने उन पर रखा था कि वे सक्षम तरीके से अपने काम को कर सकती हैं, अपने कर्तव्यों को निभा सकती हैं, उसे उन्होंने पूरा किया। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय यह है, यहां पर मैं व्यक्तिगत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इस सिलसिले में स्वयं मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, यह कार्य राज्यों को करना पड़ेगा।

ज्ञानादिशिखन जी ने हमारे सामने मिसाल रखी कि तमिलनाडु में जो आरक्षण होता है, वह पांच वर्ष के लिए नहीं दस वर्ष के लिए होता है। इस प्रकार से चुन कर आई महिलाओं को और भी प्रशिक्षित होने का मौका दिया जाता है। इसी चीज़ को हमें पूरे देश भर में लागू करना चाहिए, ताकि महिलाओं को वहां रहने का और आरक्षित स्थान पर दोबारा चुन कर आने का और

भी मौका मिलता रहे। ऐसा करने से, मेरे खयाल से पंचायती राज के सिलसिले में महिलाएं न केवल और अधिक प्रशिक्षित हो जाएंगी, साथ ही साथ, हम पंचायती राज के संस्थान को और भी अधिक सक्षम तरीके से चला पाएंगे। इसलिए मैं श्रीमती प्रेमा करियप्पा जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वह हमारे सामने यह प्रस्ताव रख कर गई हैं।

अब रहा कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं श्री जयन्ती लाल बरोट जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक ही पंक्ति में हमें बताया कि पंचायती राज को गठित करने का क्या मकसद है, क्या लक्ष्य है। बरोट साहब ने हमें बताया, इस सदन को बताया कि ग्राम पंचायत ही तय करेगा कि हमारे गांव में कौन सा विकास करना है। मुझको नहीं लगता है कि इस सिलसिले में और कुछ कहने की जरूरत है। क्योंकि पंचायती राज, ग्राम पंचायत ही तय करेगी कि हमारे गांव में कौन सा विकास करना है। इसमें मैं बस इतना जोड़ना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को मिलकर, ताकि इसमें जनता की पूरी भागीदारी हो, वह तय करे कि भविष्य क्या है और भविष्य का निर्माण उनके हाथ में आया जाए। कलराज जी ने, माफ कीजिए आप तो वहां आसीन हैं, लेकिन जब आप बोल रहे थे उसके बारे में कह रहा हूं, आपने बताया था कि पंचायतों को अपने ही साधन पर काम करना चाहिए कि उनका अपना ही बजट होना चाहिए। बशिष्ठ नारायण सिंह जी ने बताया कि ग्रामीण विकास में पंचायतों को बिल्कुल केन्द्रीय स्थान लेना चाहिए । श्रीमती गीता ने बताया कि कानून नियम होने चाहिए कि किस तरीके से जो अधिकार हैं वे पंचायती राज संस्थानों को दिए जाएं। सूर्यकान्तभाई आचार्य जी ने बताया कि Development work should be through Panchayats. श्री अवनि राय जी ने बताया कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पंचायतों को ही पैसा देना चाहिए ताकि वे यह काम पूरा करें। राधाकांत नायक जी ने बताया कि The States must evaluate the structure of Panchayats as well as their functions and the way they function. कोंडपन जी ने पंचायत की रोल क्लेरिटी के बारे में बताया और यह भी बताया कि Effective coordination is required between Line Departments and Panchayati Raj Institutions. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने हमें बताया कि हमारे गांवों की तरफ ध्यान देना चाहिए। इन सब निर्देशों को लेकर मैं यह स्पष्टीकरण इस सदन में देना चाहता हूं कि आगे बढ़ने का तरीका एक ही है कि हम एक्टिविटी मैपिंग करें। अब एक्टिविटी मैपिंग एक ऐसा शब्द है, जो अंग्रेजी में भी अभी हाल में ही आया है और हमारी तरफ से ही आया है एक भारतीय शब्द है जिसको कि हमने अंग्रेजी जुबान को दिया है। इसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जबकि आप कहते हैं कि अधिकारों का विकेन्द्रीकरण होगा और एक त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, तो कौन सा काम किस स्तर पर होगा, जब तक कि यह स्पष्ट न हो, तब तक हमेशा सब लोगों के मन में होगा कि यह ग्राम पंचायतों को क्यों दिया गया, हम करना चाहते हैं, आखिर वही लोगों ने हमें चुनकर भेजा है और ख्वाह-मख्वाह झगड़े हो जाते हैं। इन तीन स्तरों के बीच में, तनाव बढ़ता है और रचनात्मक काम होता नहीं है। जरूरी है कि जबकि एक त्रिस्तरीय प्रणाली है कि हर स्तर को साफ पता लगे अपना काम शुरू करने से पहले ही कि उनसे क्या अपेक्षा रखी जा रही है कि क्या काम किया जाना चाहिए गांव के स्तर पर, कौन सा काम किया जाना चाहिए मध्य स्तर पर, कौन सा काम किया जाना चाहिए जिला के स्तर पर। अक्सर मैं इसको समझाने के लिए एक मिसाल का इस्तेमाल करता हूं, एक उदाहरण का इस्तेमाल करता हूं, जो कि मैं आपके सामने आपकी इजाजत से पेश करना चाहूंगा। हमारे देश में 5 किस्म की सड़कें हैं। एक है नेशनल हाईवेज, लाजमी है कि केन्द्रीय सरकार इसकी

देखभाल करेगी। दूसरे हैं स्टेट हाईवेज, लाजमी है कि इनकी देखभाल राज्य सरकार करेगी। फिर हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं और विलेज रोड्स हैं। तो मेरे एक्टिविटी मैप में मैं कहूंगा कि जिला पंचायत एम0डी0आर्स0 -मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की देखभाल करे। मध्य स्तर का पंचायत ओ0डी0आर्स0 -अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की देखभाल करे। और कि गांव पंचायत पर छोड़ दें कि विलेज रोड और विलेज लिंक रोड की देखभाल वे करें, इसी को हम एक्टिविटी मैपिंग कहते हैं, क्योंकि आप किसी विषय या किसी विभाग का विकेन्द्रीकरण नहीं कर सकते, हर हालत में उसका सुपुर्दगीकरण नहीं कर सकते, किसी विषय या विभाग का नहीं हो सकता, किसी विषय से जुड़े हुए कार्यों का सुपुर्दगीकरण और जबकि कार्यों का सुपुर्दगीकरण आप कर रहे हो, तब आप ही सोच कर तय कीजिएगा और यह हर राज्य पर छोड़ा जाता है, पूरी छूट है कि वे ही तय करें कि हर विषय के प्रति कौन-सा कार्य निचले स्तर पर, गांव के स्तर पर किया जायेगा, जो रहा उसमें से कौन-सा कार्य मध्य स्तर पर किया जायेगा और जो तब रहा, उसको हम जिला पंचायत को सौंप देंगे। यह जो तरीका है इसके लिए हाल में ही, क्योंकि 20 साल पुराने शब्द हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन ने अंग्रेजी में निकाला, इसको subsidiarity कहते हैं। The 'Rule of subsidiarity' means whatever can be done at a lower level should be done at that level and not at any higher level. तो इस 'Rule of subsidiarity' को स्वीकार करके हमने एक्टिविटी मैप तैयार किया, तो 29 के 29 विषयों के प्रति सबको पता लग जायेगा कि कौन-सा काम गांव के स्तर पर होगा, कौन-सा काम मध्य स्तर पर होगा, कौन-सा काम जिला स्तर पर होगा और तब हम सब इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस अधिकार का सुपुर्दगीकरण करने के पश्चात एकदम हमें अधिकारीगण के सुपुर्दगीकरण के बारे में भी सोचना है। अब सारे अधिकारीगण लाइन डिपार्टमेंट में रह जाये और वे किसी चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि के अनुशासन के अन्तर्गत न आयें, तो वही होगा जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत मुश्किलात रखीं कि यह कोई पंचायती राज नहीं चल रहा है, यह तो बीडीओ राज चल रहा है। ये अधिकारीगण न तो ग्राम सभा की मीटिंग में आते हैं और ना ही जिला परिषद या और किसी पंचायत की मीटिंग में आते हैं। ऐसी परिस्थिति में, यदि पंचायतों को हम वाकई सशक्त बनाना चाहते हैं, If we really do not want to attain the objective of the Constitution which in article 243 G specifies that the Panchayats at all three levels are to function as "institutions of self-government" तो तब बहुत ही जरूरी है कि अधिकारीगण का सुपुर्दगीकरण भी उसी आधार पर हो, जिस आधार पर आपने अधिकारों का सुपुर्दगीकरण किया है। इसको आश्वस्त करने के लिए अर्थ-व्यवस्था भी इसी आधार पर सुपुर्द होनी चाहिए। यदि ये तीन जुड़ें, अधिकार, अर्थ-व्यवस्था और अधिकारीगण, तब जाकर जो नेशनल कॉमन मिनीमम प्रोग्राम की प्रतिज्ञा है, It is the promise of the National Common Minimum Programme that there shall be devolution of functions, finances and functionaries. तो अंग्रेजी में, it is the devolution of the three 'fs'. हिन्दी में ये तीन 'अ' का सुपुर्दगीकरण है - अधिकार, अर्थ और अधिकारीगण । इन तीनों का जुड़कर ही सुपुर्दगीकरण होता है, तब ही और मात्र तब ही, हम कह सकेंगे कि पंचायत को सशक्त किया गया है और अब आगे जाकर देखें कि उनका काम कैसा होता है। हम उनको अधिकार न दें, हम उनको वैसा न दें, हम उनको अधिकारीगण न दें और फिर कहीं बैठकर वहां या कहीं वह कहें कि सारे जो चुने हुए पंच हैं, इसमें तो भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। जनाबेआली, मैं तो भ्रष्टाचार के विकेन्द्रीकरण के खिलाफ

नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबको पता होना चाहिए कि कौन-सा काम कहां पर किया जायेगा और पैसा वहीं पर पहुंचना चाहिए। समितियों के द्वारा पूरा काम होना चाहिए और अंत में, ग्राम सभा बैठकर तय करे कि हां, काम हुआ है, नहीं हुआ है और नहीं हुआ है, तो कौन इसमें दोषी है? गांव ही उनको जानता है, कोई अखबार की जरूरत नहीं है, आल इंडिया रेडियो की जरूरत नहीं है कि गांव में एक बस स्टैंड बन रहा है या यह बस स्टैंड बना है या नहीं। कुछ तो ऐसे हो जाता है कि यूटीलाइज़ेशन सर्टिफिकेट भेजा जाता है, कहा जाता है कि बस स्टैंड बन चुका है लेकिन कोई बस स्टैंड नज़र में नहीं आता। अब गांव के लोग जानते हैं, उनको कोई अखबार की जरूरत नहीं है कि बना है या नहीं। अगर बन भी गया तो वे सवाल उठाएंगे कि हमारे गांव में इसको बनाने के लिए आपने 40 हजार रुपए लगा दिए, जबकि बगल के गांव में ऐसा ही बस स्टैंड बीस हजार में बन गया। कारण क्या यह नहीं है कि सरपंच के जो दामाद हैं, उन्हीं को इस बस स्टैंड को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला? कोई सीएजी की जरूरत नहीं है। हमने हमारे मंत्रालय में बहुत ज़ोर लगाया कि सोशल ऑडिट हो और उसके साथ-साथ फॉर्मल ऑडिट की भी आवश्यकता है और उसके लिए हमने प्रावधान भी किया है। जब तक कि सुपुर्दगीकरण असली मायने में पूरा न हो और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो और भी काम करना है, उसको भी हमने न किया हो, तब तक यह नहीं बताया जा सकता कि पंचायती राज कामयाब है या फेल्योर हो गया है। हमें सबसे पहले अपनी गलतियों की तरफ देखना है कि न तो केन्द्र सरकार और न हमारी समस्त राज्य सरकारों ने पूरा काम किया है कि सुपुर्दगीकरण हो और पंचायती राज का लक्ष्य जो है, हमारे संविधान में, उसको पूरा करने के लिए सारे ठोस कदम उठाए जाएं। इस परिस्थिति में मैं, एक्टीविटी मैपिंग का क्या सूरत-ए-हाल इस देश में है, वह बताना चाहता हूं, क्योंकि उसके बारे में मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है। एक्टीविटी मैपिंग मात्र तीन राज्यों में पूरी की गयी है, केरल, कर्णाटक और पश्चिमी बंगाल। केरल में इतनी कामयाबी से वह हुआ है कि केरल सरकार ने सोचा कि हम इस पर पुनर्विचार करें। हालांकि उनका एक्टीविटी मैप बरसों से तैयार है और लागू है, उस पर वे फिर विचार कर रहे हैं। कर्णाटक में हो चुका है, पश्चिमी बंगाल में भी, जहां कि तीस साल से उनका पंचायती राज चल रहा है, वे भी चुस्त रह रहे हैं कि दुबारा हम उस पर देखें। नवम्बर महीने में एक नया मसौदा तैयार किया गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर इस नये एक्टीविटी मैप को पेश किया जाएगा। तीन ऐसे राज्य हैं जहां एक अच्छी शुरूआत हुई है लेकिन काम अब तक अधूरा है। ये राज्य हैं, उत्तरांचल, राजस्थान और उड़ीसा। आठ राज्य ऐसे हैं जहां कुछ काम हो रहा है, लेकिन आवश्यकता है कि जरा और जल्दी दिखायी जाए। ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश एवं त्रिपुरा। पांच ऐसे राज्य हैं जहां थोड़ी-बहुत शुरुआत हुई है लेकिन और बहुत कुछ करना बाकी है। ये राज्य हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, असम और गोआ और तीन राज्य ऐसे हैं जहां तकरीबन शुरुआत भी नहीं हुई है, बहुत अधिक करने की जरूरत है। वे हैं, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं कि यह एक्टीविटी मैपिंग जल्दी से जल्दी हर राज्य में और हर यूनियन टेरिटरी में पूरी की जाए, ताकि एक आधार बने जिस पर हम आगे बढ़ सकें। मैं यह नहीं मानता हूं कि हर राज्य में 29 विषयों के प्रति पूरी एक्टीविटी मैपिंग हो। नहीं। आप एक भी विषय लीजिए, लेकिन उसकी एक्टीविटी मैपिंग पूरी होनी चाहिए और अधिकारों का सुपुर्दगीकरण करते-करते आप अर्थ का सुपुर्दगीकरण भी करें और अधिकारीगणों को भी वहां पहुंचाएं, तभी जाकर हमारे पंचायती राज संस्थान असलियत में सशक्त

बन सकते हैं। इसके साथ-साथ एक और बहुत ही अहम विषय जुड़ा हुआ है। यह है, डीआरडीए, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। मेरी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कुछ साल पहले जब कि हम विपक्ष में थे, यह बताया था कि उनके नजरिए में डीआरडीए को अब जिला परिषद के साथ जुड़ जाना चाहिए, इनमें अंतर नहीं होना चाहिए। अब इस सिलसिले में पांच ऐसे राज्य हैं जहां कि डीआरडीए और जिला परिषद एकजुट हो गए हैं और यह नहीं बता सकते हैं कि डीआरडीए अलग हैं और जिला परिषद अलग है। ये पांच राज्य हैं - पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ये पांच राज्य हैं जहां the merger of Zila Parishad with the DRDA is complete. कुछ ऐसे और राज्य हैं, दस ऐसे राज्य हैं, जहां कि डी.आर.डी.ए. और जिला परिषद् अलग हैं, लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष ही डी.आर.डी.ए. के अध्यक्ष हैं। ये दस राज्य हैं - असम, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और महाराष्ट्र, लेकिन नौ और राज्य हैं, जिनमें कि पंचायती राज में जो सबसे अव्वल राज्य समझा जाता है, केरल, वह भी शामिल है। नौ ऐसे राज्य हैं, जहां कि कलेक्टर महोदय या सी.ई.ओ. या सिक्किम में जो रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं, वे अध्यक्ष बन जाते हैं। ये नौ राज्य हैं - गुजरात, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड - जहां कि चुनाव भी नहीं हुए हैं, पंजाब, तमिलनाडु और केरल। इसलिए मुझे लगता है कि जो सवाल सुरेश भारद्वाज जी ने यहां उठाया था डी.आर.डी.ए. के बारे में, इस पर हर राज्य को ध्यान देना चाहिए। यह हमारे हाथ में नहीं है, यह तो बिलकुल राज्य सरकार द्वारा तय करने की बात है कि वह डी.आर.डी.ए. को जिला परिषद् से मिलाए या नहीं, एकजुट करवाए या नहीं, पर यह मेरी व्यक्तिगत राय है कि करना चाहिए, यह हम उन पर छोड़ते हैं और जब मैं राज्यों का दौरा करूंगा, तब मैं उनसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। इस विषय को मैंने इसलिए उठाया कि श्री सुरेश भारद्वाज ने इसको उठाया था कि इस विषय में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें।

अब रहा सवाल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज का, यहां मुझे बहुत अफसोस है कि जो काम हमें करना ही है, जो काम करने को हमारा संविधान हमें मजबूर करता है, वह काम बहुत ही चंद राज्यों में, पूरा हुआ है। जहां तक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज संविधान के अनुसार गठित नहीं होती हैं और अपना काम शुरू नहीं करती हैं, तब तक यह कहा जा सकता है कि धारा 243 जेड (डी) का उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन जब होता है, तो हमारे हाथ में एक ही कदम है कि धारा 356 के अनुसार हम उस राज्य सरकार को बरखास्त करें। अब कौन ऐसा कदम उठाना चाहता है? कोई नहीं उठाना चाहता है। या तो हम अदालत में पहुंचें, लेकिन अदालत में पहुंचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 243 ज़ेड(डी) बिलकुल स्पष्ट है और उसको पढ़ने पर पता लगेगा कि क्या करना है और कैसे करना है। इसलिए मैं श्री मंगनी लाल मंडल जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस अहम विषय पर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

सर, आप, श्री कलराज मिश्र जी, आपने भी इस बारे में बताया। श्री सिलवियस कोंडपन जी ने हमें बताया कि there should be more coordination between the Planning and P.R. Department in the States. हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने बताया कि गांवों में क्या पैसा पहुंचता है और किस प्रकार की योजनाएं-परियोजनाएं वहां अमल में लाई जा रही हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह भी उन्होंने बहुत दुरुस्त तरीके से बताया। सूर्यकान्तभाई आचार्य जी ने बहुत शानदार तरीके से हमें यह नारा दिया कि जो योजनाएं बनती हैं, उनको दिल्ली से देहात नहीं जाना चाहिए, बल्कि देहात से दिल्ली पहुंचना चाहिए। मैं

आपको यह बताने में भी बहुत खुश हूं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को साकार करने के लिए हम पिछले एक साल में बहुत आगे पहुंचे हैं। एक तो 24 अक्टूबर, 2005 को योजना आयोग ने हर राज्य को एक एडवाइज़री भेजा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना डिस्ट्रिक्ट प्लान्स पर आधारित होगी और ऐसे डिस्ट्रिक्ट प्लान्स, जो कि संविधान के प्रावधान के अनुसार तैयार किए जाएंगे। उसके बाद पंचायती राज मंत्रालय में हमने एक समिति गठित की, उसकी रिपोर्ट भी आ गई है कि यह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कैसे की जा सकती है। हर राज्य के सेक्रेटरी को मैंने इसी हफ्ते यहां दिल्ली बुलाया था और हमारी आपस में दो दिन की चर्चा हुई। हमने उनके सामने एक रोड मैप रखा था। यह आखिरी तारीख से आज की तारीख तक आता है कि दिसम्बर 2005-06 महीने में, हर राज्य के अधिकारीगण को अपनी पांच वर्षीय योजना के पैसे हासिल करने के लिए योजना भवन पहुंचना पड़ेगा। प्लानिंग कमीशन ने यह भी बताया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट प्लान्स को अपने साथ लेकर आएं। अब दिसम्बर महीने में आपको डिस्ट्रिक्ट प्लान्स लाने हैं तो नवम्बर तक जो डिस्ट्रिक प्लानिंग कमेटीज हैं, उनको इसको पूरा करना चाहिए और राज्य सरकार को भेजना चाहिए क्योंकि संविधान में बताया गया है कि जो विकास की योजना है, वह मसौदे के रूप में राज्य सरकार को भेजी जानी चाहिए। नवम्बर महीने में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को अपना काम पूरा करना है, तो अक्तूबर-सितम्बर तक हर ग्राम पंचायत, हर मध्यम स्तर की पंचायत, हर जिला पंचायत और हर नगर पालिका को एक-एक जिले में, अपनी-अपनी योजनाओं को तैयार करना पड़ेगा। यदि आपने इसको अक्तूबर महीने में छोड़ दिया तो मैं सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर के दशहरा है और 21 अक्तूबर को दीपावली है। उस समय गांवों में बहुत ज्यादा काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए सितम्बर तक यह काम पूरा हो जाना चाहिए। यदि सितम्बर तक इस काम को पूरा करना है तो मैं आपको एक तारीख देता हूं, राजीव जी का जन्म दिन, 20 अगस्त तक यह काम शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो काम पूरा नहीं होगा। यदि 20 अगस्त तक इस काम को पूरा करना है, तो जो सारे सर्कुलर्स, गाइडलाइन्स और नियम वगैरह हैं, वे तैयार करने होंगे। हर राज्य में केन्द्र की तरफ से वह काम जुलाई महीने तक पूरा हो जाना चाहिए, इसलिए समय बहुत सीमित है। जब समय बहुत सीमित है तो कुछ अफसोस की बात है कि आज के दिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज का सूरते-हाल ऐसा है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में ग्यारह ऐसे राज्य हैं, जहां पर संविधान के अनुसार डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज गठित की गई हैं। हमारी तरफ से उनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। ये ग्यारह राज्य हैं, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही यूनियन टेरेटरीज में, सही मायने में गठित किए गए हैं अंडेमान निकोबार, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्ष्य दीप। हमें इनके बारे में कोई शिकायत नहीं है। हमारे यहां तीन ऐसे राज्य हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज गठित की गई थीं, लेकिन वहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं तो चुनाव के बाद नई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज को गठित करने की आवश्यकता है। ये जो तीन राज्य असम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश हैं, इनमें असम में 27 जिलों में से मात्र दस जिलों में DPCs गठित की गई थीं। हिमाचल प्रदेश के बारे में सुरेश भारद्वाज जी की शिकायत रही है, लेकिन हमें यह भी मानना चाहिए कि वहां पर पहले थी, लेकिन अब चुनाव के बाद वहां पर गठित करने की आवश्यकता है। जहां पर काम शुरू नहीं हुआ है और अब तक PCs का गठन भी नहीं हुआ है या अब तक उनका ऐलान भी नहीं हुआ है, इसके बावजूद कानून में उनके लिए प्रावधान है, ये राज्य हैं, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहां पर ये गठित की गई हैं, लेकिन वहां पर मेम्बरान का गठन होता है और वे

चुनकर नहीं आते हैं, जैसा कि संविधान में बताया गया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एवं त्रिपुरा। हमने इन सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है तथा और भी लिखी जाएंगी। अगले महीने भुवनेश्वर में हम सभी पंचायती राज और प्लानिंग मिनिस्टर्स से मिल रहे हैं। इससे पहले वहां पर हमारे अधिकारीगण भी उनसे मिलेंगे कि हम कैसे क्रांतिकारी योजना तैयार करने का काम, देहात से शुरू करके दिल्ली पहुंचे। बजाए इसके लिए हम दिल्ली में पूरा काम करें और आम आदमी के सिर पर अपनी योजनाओं के काम थोपें, इसके लिए भुवनेश्वर में ये दो अहम मीटिंग्स हो रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस साल में यह काम पूरा हो जाएगा और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की शुरूआत के पहले साल से ही हम देखेंगे कि असली अर्थों में डिस्ट्रिक्ट प्लान देहातों से आएगी। उसको हम योजना भवन में साफ-सुथरा करेंगे और दिल्ली, हमारे गांवों से सबक सीखेगी, यह नहीं कि दिल्ली, हमारे गांवों को सबक सिखाएगी। यह बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसमें मुश्किलें तो होंगी ही, कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन बेहतर है कि हम बुनियादी तौर पर सही कदम लें और उसके बाद अगर कुछ गलतियां रह जाएं, तो उन्हें ठीक करें, बजाय इसके कि पिछली 10 पंचवर्षीय योजनाओं में जो हो रहा है कि बुनियादी तौर पर हमारा कदम गलत है और डा. मानटेक सिंह अहलुवालिया और उनके साथी उसे थोड़ा-बहुत सही कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो ग्राम सभाएं हैं, यही लोकतंत्र का आधार बनती हैं। आप लोग यह न भूलिएगा कि हमारी जो संसद है, मंत्रियों को छोड़कर, हमारे पास लैजिस्लेटिव पावर्स हैं, लेकिन एक्जीक्यूटिव पावर्स नहीं हैं। हम लैजिस्लेशन बनाने के लिए चुनकर आते हैं और चुनकर आने के बाद हमारे जैसे कुछ खुशकिस्मत लोगों को मंत्री बनने का मौका मिलता है, बाकी सब लैजिस्लेटर्स रहते हैं और उनका काम यही है कि वे हम पर निगरानी रखें और जब भी हम गलत रास्ते पर निकल रहे हों, तो हमें फिर से सही रास्ते पर लाएं, लेकिन पंचायतों में हम लैजिस्लेटर्स को चुनकर नहीं लाते हैं, हम तो एक्जीक्यूटिव्स को चुनकर लाते हैं और सबका कुछ न कुछ प्रशासनिक काम होता है और उन पर निगरानी रखने के लिए ग्राम सभा ही एकमात्र लोकतांत्रिक माध्यम है।

महोदय, मैं श्री मतिलाल सरकार का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सदन में बताया कि - "The Gram Sabha should be empowered and strengthened to emerge as the foundation of the Panchayati Raj." श्री अवनि राय ने हमें बताया कि - " Ward Sabhas and Gram Sabhas are necessary to ensure that there is no corruption." डा. राधाकांत नायक जी ने इस बात के लिए बहुत जोर लगाया कि - "There should be participatory functioning in the work of the Panchayats."

हमारे सदस्यगणों की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि ग्राम सभा की जो प्रणाली है, उसको और भी मजबूत करने के लिए राजस्थान में एक तरीका इस्तेमाल हुआ, मैं समझता हूं कि हर राज्य को इसको अपनाना चाहिए। उन्होंने वार्ड सभा गठित की। हर वार्ड में एक सभा हो, जहां लोग आपस में बैठें, बात करें और फिर जाकर वह विषय ग्राम सभा तक पहुंचे और वार्ड सभा की मीटिंग्ज में भी अफसरान को मौजूद होने की आवश्यकता है। कर्नाटक में भी इस प्रकार की वार्ड सभाएं हैं; उड़ीसा में उनको पल्ली सभा कहते हैं; केरल में इनको Neighbourhood Sabha कहते हैं; पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में इनको ग्राम संसद कहते हैं। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की जड़ को बिल्कुल मजबूत बनाने के लिए इससे बेहतर और कोई

तरीका नहीं है कि आप एक तरफ वार्ड सभाओं को गठित कीजिए और दूसरी ओर आप ग्राम सभा को कानूनी तौर पर सशक्त कीजिए। यह तो बस मैं सुझाव ही दे सकता हूं।

अब मैं आपका ध्यान उस कानून की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो सर्वसम्मति से 10 साल पहले दिसंबर, 1996 में इस संसद ने पास किया था, जिसको अंग्रेजी में हम PESAA कहते हैं, यानी Panchayats Extension to the Scheduled Areas Act. इस PESAA के अंतर्गत, PESAA गांवों में, गांवों की ग्राम सभाओं को कानूनी तौर पर यह अधिकार दिया गया है कि वह कम से कम तीन विषयों पर अपनी राय प्रकट करें। The first is identification of beneficiaries. The second is approval of all plans, programmes and projects prepared by the Panchayats. The third, the most important, is, Gram Sabha authorises the issue of the utilisation certificate. It is the misuse of utilisation certificate, which is largely responsible for corruption at the lowest level.

ये तीन प्रावधान केन्द्र द्वारा पारित किए गए कानून में हैं, हां वे PESAA इलाके तक सीमित हैं, लेकिन यदि हर राज्य में, इसको न देखकर कि वह PESAA इलाका है या नहीं, यदि ये तीन अधिकार आप ग्राम सभाओं को दे दें कि वे तय करें कि किसको लाभ पहुंचेगा, वे तय करें कि जो प्रस्ताव पंचायत में तैयार किए जाते हैं, वे पारित होंगे या नहीं और उनको यह अधिकार हो कि वे बताएँ कि काम सही हुआ है, सही दाम पर हुआ है, तब आप देखेंगे कि जिस ग्राम सभा में लोग आज नहीं पहुँचते हैं, उस दिन वे पहुँचेंगे। वे क्यों अपना कीमती समय ख्वाह-मख्वाह उस ग्राम सभा में जाकर जाया करें, जहाँ न तो कोई सुनने वाला है और न तो उसकी स्वीकृति देने के कोई लिए है। लोग ख्वाह-मख्वाह बोलना नहीं चाहते हैं, इसलिए ग्राम सभा में नहीं पहुँचते। लेकिन अपने दौरे में मैंने यह भी देखा है कि जहाँ कुछ खास मकसद हो, कुछ काम हो, तो बहुत ही बड़े पैमाने में लोग पहुँच जाते हैं और वे भाग लेते हैं। जब वे भाग लेते हैं, तो बहुत ही रचनात्मक तरीके की चर्चा होती है। कभी-कभी कुछ झगड़ा हो जाता है, मैं यह नहीं कहता हूँ कि नहीं होता है, लेकिन साथ-साथ गाँव की जो प्राथमिकताएँ हैं, वे उभर कर आती हैं। यदि आज कोई प्रस्ताव स्वीकार न किया जाए, तो कल उसको दोबारा दोहराने का हमें मौका मिलता है।

अब मैं उस विषय पर जाना चाहता हूँ, जिसे डा. अलेक्जेन्डर ने हमारे सामने इस सदन में पेश किया था। He said that the Rural Employment Guarantee Programme cannot be a substitute for a rural development programme. मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि बस पेंशन देने के लिए या स्कूल की देखभाल करने के लिए आपने पंचायतों को वहाँ तक सीमित रखा, which is called in English, "the delivery of services". Then there is only a limited role that these Panchayats can play. But, we do have a completely new technique, evolutionary technique which we are putting in place currently. It arises from what Shri Mandal said. मंगनी लाल मंडल जी ने उस उदाहरण पर हमारा ध्यान आकर्षित किया, चीन के टाउन एंड विलेज एंटरप्राइजेज पर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के मन में था। उन्होंने हमें निर्देश दिया था, उसी सम्मेलन में, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमें भी चीन से प्रेरणा लेकर यह देखना चाहिए कि हमारे आर्थिक सुधार और विकास के काम को आगे बढ़ाने के लिए हम ग्रामीण इलाकों

को न भूल जाएँ और ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र, rural business hubs की स्थापना करने के लिए हम कुछ ठोस कदम उठाएँ। इसलिए मैं श्री ज्ञानादिशिखन को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ इस सदन में rural business hubs की चर्चा की। नायक साहब ने the urban-rural continuo के बारे में बताया। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि राजीव जी का कहना था कि we must use the district planning committees to buckle the urban growth centres with their immediate rural hinterland. वंगा गीता जी ने हमें सावधान किया कि पंचायती राज संस्थानों के द्वारा ही हमें इन कामों को करना चाहिए, parallel bodjes को रोकना चाहिए। हरेन्द्र सिंह मलिक जी ने बताया कि जो काम पंचायती राज संस्थान के द्वारा किया जा सकता है, उसे क्यों आप ख्वाह-मख्वाह एनजीओज़ के द्वारा करवा रहे हैं। प्रभा ठाकुर जी और हमारे मंगनी लाल जी, दोनों ने बताया कि महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्हें हमें पंचायतों से जोड़ना चाहिए। श्री नारायणसामी जी ने, मुझे लगता है कि यह बहुत अहम बात है, उन्होंने कहा कि State level पर और district level पर कुछ agencies होनी चाहिए, जो उन products को, जो self-help groups के जरिए बनाए जाते हैं, उनको बेचने के लिए सही इन्तजाम करें। इसलिए मुझे सदन को यह जानकारी देने में खास खुशी होती है कि rural business hubs को बनाने के लिए हमने एक बहुत खास काम किया है। वह यह है कि हमने Confederation of Indian Industries के साथ जुड़ कर एक ऐसी समिति बनाई है, Rural Business Hub Council, जो मेरे ख्याल में आजाद भारत में अनूठा, अनोखा रूप रखता है। मैंने कहा कि मंत्री हूँ या नहीं हूँ, मुझे CII के प्रतिनिधि के साथ बिल्कुल समानता के साथ, दोनों बैठ कर, अध्यक्षता अपना कर, को-चेयर्स बन कर हम इस rural business hubs का काम करें। पिछले तकरीबन एक साल से श्री सुनील मुंजाल साहब जोकि सी0आई0आई0 के हैं और मैं एकजुट होकर इसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं।

सर, आप ने सुना होगा, हमारा मॉडल है पब्लिक, प्राइवेट पार्टनरशिप जो अंग्रेजी में 3 पी होता है। हम ने इसे बदल दिया और कहा कि इसे 4 पी बनाओ और अब तक तीन ऐसे मेमोरेंडम और अंडरस्टेंडिंग पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिस के जरिए ये रूरल बिजनेस हब्स बनते आ रहे हैं। यह सब से पहले रामगढ़ ब्लॉक, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तरांचल में बना जहां कि फल का उत्पादन होता है। जब बहुत ज्यादा फल होते हैं और दाम सब से कम हैं तो सारे फल बेचने पड़ते हैं, नहीं तो वे रद्दी हो जाते हैं। वहां पहाड़ में जो फल एक रुपए में खरीदा जाता है, वह दिल्ली की हमारी मेज तक पहुंचते 50 रुपए हो जाता है। तो उस का लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंचता जिन के प्रयास, मेहनत और पसीने से ये फल दिल्ली तक पहुंचते हैं। उस के लिए हम ने आई0टी0सी0 के चैयरमेन श्री देवेश्वर साहब से कहा कि आप आइए और पंचायतों को गठित कीजिए। पंचायतों के प्रेसीडेंट्स ने इस पर हस्ताक्षर किए और सारी एजेंसीज आ गयी हैं। अब वहां फल पर आधारित ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र स्थापित हो रहा है। उस के बाद तीन ऐसे केन्द्र हम ने हरियाणा में स्थापित किए जेट्रोफा के उत्पादन के लिए। हम ने विश्व की सब से बड़ी बायो-डीजल कंपनी "द वन ऑइल" से लंदन में संपर्क कर के कहा कि आप की जो भारत की शाखा है वह आए और इंडियन ऑइल कार्पोरेशन से जुड़े। हम ने कहा कि मेवात जैसे बहुत पिछड़े हुए जिले और फरीदाबाद व यमुना नगर जैसे कुछ पहुंचे हुए जिलों में आप जाइए और देखिए कि पंचायतों के साथ बैठकर आप इन बायो-डीजल के लिए ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र शुरू कर सकते हैं या नहीं? उन पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं और काम बहुत सफलता से आगे बढ़ रहा है। कर्नाटक में ऊर्जा के क्षेत्र में, रद्दी से ऊर्जा के उत्पादन के लिए, generation of

electricity from agriculture waste, उस के डिस्ट्रीब्यूशन में, बिल कलैक्शन में तकरीबन 30 ऐसे एम0ओ0यूज0 पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिस में कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र - दोनों की कंपनियां आगे आई हैं। उन्होंने खुद अपनी पंचायतों को ढूंढ निकाला है। उन के साथ बैठकर वह काम भी आगे बढ़ रहा है। सर, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि पेरिस और न्यूयार्क में जो फैशन गार्मेंट्स बनते हैं, जिन को पेरिस या न्यूयार्क में बनाने में बहुत खर्चा होता है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव हम्पी के पास फैशन गार्मेंट्स की सिलाई के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नॉलोजी एक तरफ और अन्य व्यावसायिक संस्थान् दूसरी तरफ हैं। इन गांवों में उन्होंने पंचायत के साथ समझौता किया है कि यह काम भी वहां जाए। तो जो आप "एफ टी0वी0" पर देखते हो, उस की शुरूआत बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से है जोकि एक कमाल की बात है। इसे भी हमें आगे बढाना है। अब तक हमारे पास 869 प्रस्ताव हैं कि कौन-कौन से पदार्थ और कौन से क्षेत्र व कौन से ब्लॉक में ये बना सकते हैं। वहां की पंचायतें तैयार हैं और हम इस इंतजार में हैं कि जो बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वे आगे आएं। ऐसे 73 बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने सी0आई0आई0 को बताया है कि वे आने के लिए तैयार हैं। मैंने सुनील मुंजाल जी से कहा है कि हमारे यहां 800 और आपके यहां 70 यह क्या अन्याय है? आप और लोगों को इस अभियान में शामिल कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। इस तरह हम बहुत ही तेजी से इस काम को आगे ले जाने में लगे हुए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम इस विषय में माननीय सदस्यों के सहयोग के साथ बहुत आगे बढ़ पाएँगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि मैंने काफी समय ले लिया है। आपकी इजाजत से, यदि आप मुझे इसे पूरा करने के लिए 5 मिनट और दें तो मैं ऐसा करूँगा कि जो मिसलेनियस रिक्वेस्ट्स थे, इनको मैं एक तरफ रख दूँ और कह दूँ कि जिन सदस्यों ने इन मुद्दों को उठाया था, उनको मैं अलग-अलग चिट्ठी भेज दूँगा।

मैं अंत में बस यह कहना चाहता हूँ कि एक तो बहुत जरूरी बात, जो कि मंडल जी का प्रस्ताव रहा कि District-Level Credit Plans तैयार किए जाएँ, जो State-Level Bankers' Committee है, उसमें पंचायतों को शामिल किया जाए और जो पंचायत, जो बैंक सर्विस एरियाज़ हैं, वे पंचायत एरिया तक सीमित रहे, इस प्रकार के प्रस्तावों पर हम काम कर रहे हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि ऐसे रचनात्मक और अच्छे सुझाव उन्होंने हमें दिए हैं, जिनके जरिए हमारे मंत्रालय का काम और बेहतर हो सके।

अंत में और यह वाकई आखिरी शब्द है कि तिरुनारायण स्वामी जी ने भी हमें उन तीन चीजों के बारे में बताया, जिनको कि हमें पंचायती राज को आगे ले जाने के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि "The Panchayats have three key requirements - one, financial autonomy; two, a free hand in the implementation of various schemes; and three, for the planning process to start from the grassroots." मुझे नहीं लगता कि पंचायती राज मंत्री होने के नाते मैं इससे बेहतर आपको कह पाऊँ कि क्या करने की आवश्यकता है। ये तीन चीजें हम करें तो हमारे ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। हमने इसको और मजबूत करने के लिए कुछ योजनाओं और परियोजनाओं की तैयारी की है, जिनके बारे में मैं तफसील से नहीं बता सकता क्योंकि समय सीमित है और इसके बारे में बारीकी से बताने के लिए मुझे सदन में वापस लौटना पड़ेगा। बस आपकी जानकारी के लिए मैं इसको तीन-चार मुद्दों में बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ।

हम एक "पंचायत महिला शक्ति अभियान" राजस्थान से शुरू कर चुके हैं। हम अभी हरियाणा से एक "पंचायती युवा शक्ति अभियान" शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि जितनी भी महिलाएँ, जो पंचायती संस्थान में हैं, वे एकजुट हो जाएँ और एक ही आवाज में अपनी माँगों को उठाएँ। वैसे ही जो युवा शक्ति के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको भी एक आवाज होनी चाहिए।

यदि मुझे इजाजत मिले तो मैं एक "पंचायती राज युवा शक्ति खेल-कूद अभियान" भी शुरू करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि हम कॉमनवैल्थ गेम्स पर करोड़ों, हजारों करोड़ खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे 37 करोड़ बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स हैं और नौजवान लड़के-लड़कियाँ हैं, उनके खेल-कूद के लिए राज्य औपचारिक रूप में कोई प्रावधान नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब हम कॉमनवैल्थ गेम्स को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इसके साथ-साथ हमारे चालीस करोड़ नौजवानों को भी यह संदेश पहुँच जाए कि हमारे मन में उनका भी ख्याल है।

महोदय, Backward Regions' Grant Fund का ऐलान हो चुका है। हमारा बजट, जो पिछले साल 50 करोड़ का था, अब वह तकरीबन 5000 करोड़ का होने वाला है क्योंकि इसकी जिम्मेवारी हमें दी गई है। औपचारिक रूप में इसे अब भी मंत्री मंडल के पास जाना है, लेकिन इसका ऐलान वित्त मंत्री जी ने अपने बजट स्पीच में किया।

हम दो बहुत ही मुख्य योजनाओं को तैयार करने में जुटे हैं। इसकी शुरुआत बजट में हो चुकी है, लेकिन उसको और मजबूत करने की जरूरत है। एक है - "ग्राम स्वराज", जिसके जरिए पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर, hard and soft, that is, buildings, equipments, staff हम इसके लिए दिल्ली से राज्य सरकारों को मदद करने में लगे हैं तथा एक और जिसको कि हम अंग्रेजी में कहते हैं- the Panchayat Empowerment and Accountability Incentive Fund -- the panchayat empowerment to be incentivised for the States and panchayat accountability to be incentivised for the panchayats. And, by bringing these two together, I think, we will get a much, much stronger panchayati raj system. The Prime Minister has already ordered that all Central Ministries should recast their Centrally-sponsored schemes to ensure the Centrality of the panchayats. In these schemes, we already have a very considerably measure of success with regard to the National Rural Employment Guarantee Act, where, in Section 13, it is stipulated that the panchayats shall be the principal authority for planning and implementation.

Similarly, in a whole slew of programmes we move forward. For *Bharat Nirman*, the Finance Minister last year announced the centrality of the Panchayats in all the *Bharat Nirman* Programmes. It is a very difficult task, Sir. It is not easy to change mindsets. It is not easy to undermine the existing structures. But we are trying to do all we can at the level of the Central Government and in consultation with the States. 'Consultation with the States' means that I have had seven round tables, within a span of 150 days in 2004, with all the States' Panchayati Raj Ministers. We really

created a Panchayati Raj *biradari.* We have listed around 150 action points, which all of us have agreed to, and this constitutes a national consensus.

महोदय, अब हमें पता है कि कि मंजिल कौनसी है? उस मंजिल तक पहुंचने के लिए पथ कौन सा है? उस पथ के सिलसिले में हम जानते हैं कि 18 अलग-अलग मुकाम हैं, जिनको कि हमें पार करना है। इन 18 मुकामों को पार करने के लिए तकरीबन 150 ठोस कदम हैं, जिनको हमें उठाना हैं और इस पर चमत्कार यह है कि राष्ट्रीय-स्तर पर सर्व-सहमति है और कोई यह नहीं कह रहा है कि यह नहीं करना चाहिए। इस आधार पर अब मैं हर महीने एक राज्य या यूनियन टेरीटरी में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 12 महीने में मैं 12 राज्यों में हो आया हूँ। वहां अंत में हम वहां के मुख्य मंत्री के साथ बैठकर एक मैमोरंडम ऑफ स्टेंडिंग पर हस्ताक्षर लगाते हैं, जिससे सबको पता लग जाए कि जो मोटा कंपेंडियम है, उसको अमल में लाने के लिए उस राज्य में किन-किन कदमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दो यूनियन टेरीटरीज में भी काम पूरा किया है। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है।

अंत में, मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि इतने ध्यान से आपने मेरे इस लंबे भाषण को सुना। धन्यवाद। नमस्कार।

उपसभाध्यक्ष (श्री कलराज मिश्र) : सदन की कार्यवाही 2.30 बजे तक स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch atfifty-eight minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty four minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair

FELICITATIONS TO DEPUTY CHAIRMAN

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : आदरणीय उपसभापति महोदय, इससे पहले कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरु हो, क्योंकि यह प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस का वक्त है, मैं आपकी आज्ञा से, चूंकि आप आज उस आसंदी पर विराजमान हुए हैं, जिस पर इस देश की महान व्यक्तित्व वाली और प्रतिभाशाली विभूतियां विराजमान रही हैं, इस अवसर का लाभ लेते हुए, क्योंकि आपके हंसमुख स्वभाव का, विनम्रता का, सज्जनता का और सहजता का ज़िक्र हुआ है, तो उसी संदर्भ में केवल दो पंक्तियां कहकर मैं आपके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूंगा :-

अज़ीम ओहदों पे आते रहना, जनाबे रहमान को मुबारक
अच्छे से सदन को चलाते रहना, जनाबे रहमान, आपको मुबारक।

श्री उपसभापति : शुक्रिया, शुक्रिया।

डा0 अखिलेश दास : सर, एक बधाई माननीय सुरेश पचौरी जी को भी दे दीजिए कि वे अच्छे शायर भी हो गए हैं।

श्री उपसभापति : अच्छे शायर हो गए हैं और वह भी उर्दू के अच्छे शायर हो गए हैं।